...ालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

A 8/1

पीठासीन अधिकारी–

श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
49 / प्रा.पत्र / 2021	04.08.2021	22.09.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।

–प्रार्थी

–बनाम–

श्री सुरेश चन्द दाखेडा पुत्र श्री हीरालाल दाखेडा, विक्रेता एवं मालिक मैसर्स हीरालाल, सुरेश चन्द लंका गेट, बून्दी। निवासी–लंका गेट, बून्दी।

–अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(v)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से–श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

–: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 एवं क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षैत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 18.08.2011 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.11.2020 को समय 1:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु लंका गेट, बून्दी पर स्थित फर्म हीरालाल, सुरेश चन्द लंका गेट, बून्दी पर पहुंचा। वहां पर श्री सुरेश चन्द दाखेडा पुत्र श्री हीरालाल दाखेडा, विक्रेता एवं फर्म के मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसका उल्लेख मौका फर्द में हैं।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु फर्म पर लोहे के ड्रमो में लगभग 850 लीटर रिफाइण्ड सोयाबीन तेल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

A8/2

(खुला) उपलब्ध था। रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में मिलावट का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, लोहे के ड्रमो में से लगे पाइप से लेकर, हिलामिलाकर, एकरूप कर तुलवाकर, एक साफ, सुखी व स्वच्छ स्टील की भगोनी में 1600 ग्राम रिफाइण्ड सोयाबीन तेल वास्ते जांच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 160/- नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल को एकरूप कर, चार प्लास्टिक की साफ, सुखी व स्वच्छ शीशीयों में बराबर-बराबर भरा तथा प्रत्येक कांच की शीशी को एयरटाइट ढक्कन लगाकर एयरटाइट किया तथा निर्धारित लेबल लगाये प्रत्येक शीशी पर चिपकाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू-1552 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू-1552 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार-चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मोहम्मद फारूख सहायक कर्मचारी द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मोहम्मद फारूख द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.-6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/228 दिनांक 21.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 348/पी0एच0एल0/कोटा/एक्ट/2020/442 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया रिफाइण्ड सोयाबीन तेल की जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने पर फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन नं. 2.3.15(बी) (प्रोहिबिशन एण्ड रिस्ट्रीक्शन ऑन सेल्स) 2011 का उल्लंघन होना पाया है। खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन के तेल का खुला विक्रय फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन नं. 2.3.15(बी) (प्रोहिबिशन एण्ड रिस्ट्रीक्शन ऑन सेल्स) 2011 का उल्लंघन है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/74 दिनांक 28.06.2021 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत रिफाइण्ड सोयाबीन तेल का खुला विक्रय कर फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन नं. 2.3.15(बी) (प्रोहिबिशन एण्ड रिस्ट्रीक्शन ऑन सेल्स) 2011 का उल्लंघन कर धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहा तथा प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थी समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर रिफाइण्ड सोयाबीन तेल का खुला विक्रय कर फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन नं. 2.3.15(बी) (प्रोहिबिशन एण्ड रिस्ट्रीक्शन ऑन सेल्स) 2011 का उल्लंघन कर विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावें।

अप्रार्थी ने दोराने बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई हैं। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय पारित करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी व अप्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। रिफाइण्ड सोयाबीन तेल का खुला विक्रय कर फुड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड रेगुलेशन नं. 2.3.15(बी) (प्रोहिबिशन एण्ड रिस्ट्रीक्शन ऑन सेल्स) 2011 का उल्लंघन कर विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित हैं। अतः अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता हैं। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी